


पत्र क्रमांक निर्वाचन-2019/गाडी अधिग्रहण 257

दिनांक: 28/2/19

-:निविदा सूचना:-

लोक सभा आम चुनाव 2019 के लिये जिला चरखी दादरी में चुनाव पर्यवेक्षकों हेतु प्राईवेट गाडियों की आवश्यकता होगी। स्थानीय इच्छुक फर्म से प्रति किलोमीटर और प्रतिदिन की दर से गाडियों के लिए निविदायें आगामी लोक सभा चुनाव 2019 तक रेट कांट्रैक्ट हेतु आमंत्रित की जाती है।

प्राप्त निविदायें तीन बोली प्रणाली (Three Bid System) के आधार पर खोली जाएगी तथा अनुबंध पश्चात् आगामी लोक सभा आम चुनाव तक प्रभावी होंगे। सम्बन्धित नियम व शर्तें सरकारी वेबसाईट <https://Charkhidadri.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदायें/टेंडर दिनांक 28.02.2019 से दिनांक 06.03.2019 साय: 3:00 बजे तक कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी में जमा करवानी होगी तथा दिनांक 06.03.2019 को साय: 4:00 बजे खोली जायेगी। वित्तीय निविदा एवं Technical Bid अलग अलग लिफाफे में जमा करनी होगी। लिफाफे पर फर्म का Address तथा Mob. No. अंकित होना चाहिये।



उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।


Technical Bid:-


- फर्म के पास जी.एस.टी. नं० होना चाहिए।
- फर्म शोप अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
- फर्म की पिछले तीन साल की Turnover, Balance Sheet & Profit and Loss A/c जो Chartered Accountants से सत्यापित होनी चाहिये।
- फर्म की एक साल की Turnover 10 लाख या इससे अधिक होनी चाहिये।
- फर्म का PAN No. होना चाहिए।
- फर्म की तीन साल की इन्कम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए।
- फर्म ब्लैकलिस्टिड नहीं होनी चाहिए
- फर्म दिवालिया न हो इस बारे सर्टीफिकेट होना चाहिए।
- फर्म का उक्त कार्य में तीन साल का सरकारी या अर्धसरकारी या निगम में कार्य का अनुभव होना चाहिए।


नोट:- उक्त सभी प्रकार के दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र साथ संलग्न करें।

कमेटी सदस्य


निर्वाचन कानूनगो
चरखी दादरी।


लेखा अधिकारी
हरियाणा परिवहन, च० दादरी



नगराधीश महोदय
चरखी दादरी



उपाध्यक्ष एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।


निम्नलिखित शर्तें मान्य होगी:-


1. वाहन मालिक के पास वाहन का परमिट होना चाहिए ।
2. वाहन का आर0सी0/बीमा आदि कागजात पूर्ण होने चाहिए ।
3. चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए ।
4. वाहन तीन चार वर्ष से अधिक पुराना न हो ।
5. रेट प्रति किलोमीटर और प्रति किलोमीटर के हिसाब से देने होंगे ।
6. वाहन सोमवार से शनिवार सभी कार्यदिवस में उपलब्ध करवाने होंगे ।
7. टेंडर फीस की राशि 2000/- रूपये जो कि नान रिफंडेबल है वह डिमांड ड्राफ्ट के रूप में Deputy Commissioner-Cum-District Election Officer, Charkhi Dadri के पक्ष में देय होगी ।
8. तथा EMD को राशि 20,000/- रूपये रिफंडेबल के रूप में जमा करवाने होंगे जो कि Deputy Commissioner-Cum-District Election Officer, Charkhi Dadri के पक्ष में देय होगी ।
9. धरोहर राशि 50,000/--रूपये का बैंक ड्राफ्ट सफल निविदाकार द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी के पक्ष में जमा करवाना होगा ।
10. यदि अन्य कोई शर्त हुई तो मौके पर सूचित कर दिया जाएगा जो कि मान्य होगी ।
11. उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी चरखी दादरी को किसी एक या सभी निविदायें बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

कमेटी सदस्य


निर्वाचन कानूनगो
चरखी दादरी ।


लेखा अधिकारी
हरियाणा परिवहन, चरखी दादरी ।


नगराधीश महोदय
चरखी दादरी ।


उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी ।